

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 3(3)साप्र / 6 / 2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक 16 OCT 2019

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल, उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती है, का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य में वर्ष 1975-77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. की धारा 107, 116 एवं 151 के अन्तर्गत निरुद्ध रहे राज्य के मूल निवासियों को पेंशन, चिकित्सा सहायता एवं अन्य सहायता देने हेतु जारी “राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008” को तुरंत प्रभाव से एतद्वारा निरस्त करते हैं।

राज्यपाल के आदेश से

(भवानी सिंह-देथा)
शासन सचिव । १६।१।१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. संबन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विशिष्ट शासन सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंधन निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
13. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर को आज ही राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

१६।१।१९
(संयुक्त शासन सचिव)